[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 02/20**20**- सीमा शुल्क (एस जी)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि "सोलर सेल्स चाहे वे मॉड्यूल्स या पैनल्स में जोड़े गए हों अथवा नहीं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आते हैं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2018-सीमा शुल्क (एस जी), दिनांक दिनांक 30 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि. 717(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए रक्षोपाय शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 22/1/2020-डीजीटीआर के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए रक्षोपाय शुल्क के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 22/1/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जुलाई, 2020, जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु के आयात पर लगे रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अतः, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान और रक्षोपाय शुल्क का आंकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12, 14, 17 और 18 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) और (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा विषयगत वस्तु जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आता है पर , जब उनका आयात भारत में हुआ हो, निम्नलिखित दर से रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है, यथा:-

(क) चौदह दशमलव नौ प्रतिशत मूल्यानुसार घटा देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, जब इनका आयात 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 (दोनों दिवस शामिल हैं) की अवधि में होता हो; और

(ख) चौदह दशमलव पांच प्रतिशत मूल्यानुसार घटा देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, जब इनका आयात 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 (दोनों दिवस शामिल हैं) की अवधि में होता हो ।

2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और वियतनाम को छोड़कर उन विकासशील देशों से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात पर लागू नहीं होगी जिनको अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमाशुल्क (गेटे) दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

[फाइल संख्या 354/31/2018-टीआरयू (पार्ट.3)]

(जे.एस. कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार